यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** के माह **01/2020** से **12/2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों व श्री सत्यबीर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 28.01.2021 से 08.02.2021 तक श्री बिभाष मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार एवं श्री राजेश सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हरीश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **18.01.2020** से **29.01.2020** तक श्री ए. के. जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह **11/2018** से **12/2019** तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार शहर, हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, बीएचईएल रानीपुर का समस्त क्षेत्र।
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिकअवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	-	-	-	3457.26	3457.26	-	-
2018-19	-	-	-	-	4616.08	4616.08	-	-
2019-20	-	-	-	-	4029.50	4004.50	-	-
2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)					4307.59	3386.66		

Note: स्थापना का बजट इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवतहैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2018-19	शून्य				
2019-20					
2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)			553		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**ए**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
मुख्य अभियन्ता
अधीक्षण अभियंता
अधिशासी अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। दिसम्बर 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नीलधारा पर चंडी द्वीप को जोड़ने हेतु दो क्रेट सेतुओं का निर्माण एवं डिसमेंटलिंग का कार्य को विस्तृत विश्लेषण किए जाने हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखा परीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि मे निरीक्षण नहीं किया गया।
4. खंड के भंडार लेखो की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी माह **03/2018** तथा यंत्र-संयन्त्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह **03/2018** तक की गयी।
5. फार्म-51 माह **03/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :

भाग प्रथम: ` (-) 32,64,689.00

भाग दितीय: ` (-) 2,18,635.00

6. खंड के उच्चन्त लेखो का अवशेष माह **12/2019** केअंत में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम : ` 10027077

(ख) सामग्री क्रय : ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन : ` शून्य

(घ) निक्षेप : ` 78452653

(ङ) भंडार : ` शून्य

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर: 1 खण्ड द्वारा अधोमानक कार्य संपादित कराते हुये कार्य पर ` 4.84 लाख का परिहार्य व्यय/ व्ययाधिक्य किया जाना, ठेकेदार पर ` 20.32 लाख का LD अधिरोपित न किया जाना एवं ठेकेदार द्वारा Bank Guarantee की वैद्यता नवीकरण न कराये जाने के बावजूद देयक का भुगतान किया जाना।

(अ) अधोमानक कार्य एवं कार्य पर ` 4.84 लाख का परिहार्य व्यय/ व्ययाधिक्य किया जाना।

शासन द्वारा मई 2017 को राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर में बैरियर नं0 6 से रावली महदूद तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य हेतु ₹326.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य अभियन्ता स्तर-I, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उतनी ही धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति दिनांक 10.09.2018 को प्रदान की गई। कार्य निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर से एक अनुबन्ध गठित की गई जिसका कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य समाप्त करने की तिथि क्रमशः 05.03.2019 एवं 04.03.2020 थी।

कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा मार्ग की क्रस्ट डिज़ाइन का निर्धारण सी0बी0आर0 वैल्यू चार प्रतिशत एवं यातायात घनत्व पाँच एम0एस0ए0 के आधार पर किया गया। उपरोक्त सी0बी0आर0 वैल्यू एवं एम0एस0ए0 पर IRC:37-2012 की प्लेट 2 के अनुसार पुनः निर्माण हेतु मार्ग का जी0एस0बी0 लेयर 285 एम0एम0, ग्रैनुलर बेस लेयर 250 एम0एम0, डी0बी0एम0 60 एम0एम0 एवं बी0सी0/ एस0डी0बी0सी0 25 होना चाहिए था, परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा विस्तृत आगणन में जी0एस0बी0 लेयर 350 एम0एम0 (मार्ग का न्यूनतम क्रस्ट थिकनेस 200 एम0एम0 मानते हुये 200+150 एम0एम0), ग्रैनुलर बेस लेयर 150 एम0एम0 (75 एम0एम0 G-2 + 75 एम0एम0 G-3), डी0बी0एम0 55 एम0एम0 एवं बी0सी0/ एस0डी0बी0सी0 30 एम0एम0 का प्रावधान किया गया एवं तदानुसार कार्य निष्पादन कराया गया। इस प्रकार खण्ड द्वारा ग्रैनुलर बेस लेयर कार्यमद 100 एम0एम0 कम एवं बी0सी0/ एस0डी0बी0सी0 कार्यमद 05 एम0एम0 ज्यादा का प्रावधान एवं निष्पादन किया गया। उपरोकतानुसार खण्ड द्वारा जहां एक ओर आई0आर0सी0 विशिष्टि के प्रावधान/ मानक के विपरीत ग्रैनुलर बेस कार्यमद 100 एम0एम0 कम मोटाई में निष्पादित किया गया वहीं दूसरी ओर बी0सी0/ एस0डी0बी0सी0 कार्यमद 05 एम0एम0 अधिक मोटाई में निष्पादित किया गया। जब बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 के स्थान पर डी0बी0एम0, बी0सी0 जैसे महंगे कार्यमद से मार्ग का पुनः निर्माण किया जाना था तब यह अति आवश्यक था कि उसका बेस (ग्रैनुलर बेस लेयर) भी मानक के अनुसार निष्पादित किया जाय परंतु खण्ड द्वारा प्रावधान/ मानक से कम मोटाई में कार्य निष्पादित कर न केवल अधोमानक कार्य निष्पादन किया गया बल्कि

बी0सी0/ एस0डी0बी0सी0 कार्यमद 05 एम0एम0 अधिक मोटाई में निष्पादित कर ₹ 4.84 लाख[1] का परिहार्य व्यय/ व्ययाधिक्य भी किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि IRC- 37 2012 की प्लेट (2) CBR 4% और msa 5 के अनुसार डिज़ाइन कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप कार्य संपादित किया गया। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि IRC- 37 2012 की प्लेट (2) में ग्रैनुलर बेस लेयर 250 एम0एम0 एवं बी0सी0/ एस0डी0बी0सी0 25 एम0एम0 का प्रावधान है एवं खण्ड द्वारा जिसका अनुपालन न करते हुये अधोमानक कार्य एवं कार्य पर परिहार्य व्यय/ व्ययाधिक्य किया गया।

(ब) ठेकेदार पर ₹ 20.32 लाख का LD अधिरोपित न किया जाना एवं ठेकेदार द्वारा Bank Guarantee की वैद्यता नवीकरण न कराये जाने के बावजूद देयक का भुगतान किया जाना।

ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण न करने की दशा में अनुबंध के अंतर्गत Liquidated Damages (LD) का प्रावधान था। GCC/ PCC 46 के अनुसार यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उसे अनुबंध राशि के 1/2000 प्रतिदिन के दर से अधिकतम अनुबंध राशि का 10% तक LD देय होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (04.03.20) तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अनुबंध के प्रावधान के अनुसार कार्य के पूर्ण होने की तिथि के पश्चात ठेकेदार को भुगतान किए गए अगले देयक से LD की कटौती की जानी चाहिए थी। परंतु खण्ड द्वारा दिनांक 17.08.2020 को भुगतान किए गए 7वाँ चालू देयक से LD की कटौती नहीं किया गया। इस प्रकार ठेकेदार के देयक से नियमानुसार LD की कटौती न कर उसे ₹ 20.32 लाख {(24486000/2000) x 166} का लाभ पहुंचाया गया। यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा खण्ड को इस अनुबंध के सापेक्ष Performance security के रूप में ₹ 14,20,600.00 एवं Addl. Performance security के रूप में ₹6228500 का Bank guarantee उपलब्ध कराया गया था जो कि दिनांक 14.07.2020 तक वैद्य था। खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक नवीकृत Bank guarantee ठेकेदार से प्राप्त नहीं किया गया एवं Bank guarantee की वैद्यता समाप्त होने के पश्चात भी ठेकेदार का देयक का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबन्ध की शर्तानुसार LD लगाते हुये कार्य का अंतिम देयक प्रस्तुत किया जाएगा एवं ठेकेदार को Bank guarantee की वैद्यता बढ़ाने के लिए लिखा गया है**,** ठेकेदार द्वारा Bank guarantee की वैद्यता न बढ़ाए जाने की दशा में भुगतान नहीं किया जाएगा। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात देयक से LD की कटौती की जानी चाहिए थी एवं ठेकेदार द्वारा Bank guarantee की वैद्यता न बढ़ाने के बावजूद खण्ड द्वारा ठेकेदार को 7वाँ चालू देयक का भुगतान किया गया

[1] BC of ₹ 29.05 lakh - ₹ 24.21 lakh [(421.04/0.030)x 0.025 x ₹ 6900]

इस प्रकार खण्ड द्वारा अधोमानक कार्य संपादित कराते हुये कार्य पर ` 4.84 लाख का परिहार्य व्यय/ व्ययाधिक्य किए जाने, ठेकेदार पर ` 20.32 लाख का LD अधिरोपित न किए जाने एवं ठेकेदार द्वारा Bank Guarantee की वैद्यता नवीकरण न कराये जाने के बावजूद देयक का भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर- 2 नाले के अपूर्ण निर्माण कार्य के कारण निष्फल व्यय ₹ 55.73 लाख ।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर मे शहीद वाला से मेन सड़क तक मार्ग के किनारे नाले III निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जुलाई 2017 मे ₹ 153.23 लाख की प्राप्त हुई थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति फरवरी **2018** मे उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी थी। मार्ग मे अत्यधिक जल ग्रस्तता होने तथा मार्ग मे उक्त कारण से गड्ढे होने के कारण तथा मार्ग के शहीद वाला को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग होने के कारण उपरोक्त नाले का निर्माण कार्य अति आवश्यक था। उपरोक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत 1200 मीटर नाले निर्माण कार्य मे निम्नलिखित निर्माण कार्यो का निष्पादन किया जाना था-

I. मिट्टी खुदाई एवं पी सी सी 1:3:6 का कार्य।
II. आर सी सी एम 25 का कार्य।
III. एच वाई एस डी स्टील का कार्य।

उक्त स्वीकृत कार्य योजना मे ठेकेदार के साथ गठित किए जाने वाले अनुबंध मे निर्माण से संबन्धित माइल स्टोन एवं समय सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी थी तथा अनुबंध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूरा न करने पर नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी थी।

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 05/एस ई/2018-19 दिनांक 25.05.18 को लागत ₹ 107.22 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य दिनांक 24/02/19 को समाप्त किया जाना था। उपरोक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष दिनांक 19.06.20 तक ₹ 20.82 लाख का भुगतान ठेकेदार को किया गया था जबकि माह दिसम्बर तक निर्माण कार्य पर ₹ 55.73 लाख के भुगतान के पश्चात संप्रेक्षा अवधि तक नाले का निर्माण हेड से प्रारम्भ कर मात्र 200 मीटर लंबाई मे ही बनाया गया था तथा ग्रामवासियों सड़क के दोनों ओर नाले निर्माण से संबन्धित विवाद के कारण तथा नाले के अंतिम बिन्दु बिहारीगढ़- रोशनाबाद मोटर मार्ग पर समुचित निकासी व्यवस्था सुनिश्चित न किए जाने के कारण उक्त 200 मीटर निर्माण कार्य के उपरांत नाले का निर्माण कार्य बाधित था एवं मार्ग के दोनों ओर कुल डिस्चार्ज आंकलित करके उचित आयाम का नाला डिजाइन करने के बाद पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित करने के आदेश अधीक्षण अभियंता द्वारा अगस्त 2008 मे निरीक्षण के उपरांत जारी किए जाने के बाद भी संप्रेक्षा अवधि तक न तो कोई पुनरीक्षित प्रस्ताव खंडीय स्तर से तैयार कर प्रेषित किया गया था एवं न ही विलंब के उपरांत ठेकेदार के सापेक्ष कोई

विभागीय कार्यवाही खंडीय स्तर से की गयी थी। जिसके फलस्वरूप उक्त निर्माण कार्य पर किया गया व्यय ₹ 55.73 लाख अलाभकारी रहा था।

उक्त के संबंध मे इंगित किये जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि नाला निर्माण आबादी क्षेत्र मे 200 मीटर लंबाई मे पूर्ण हुआ था जिसके उपरांत ग्रामीणो द्वारा मत भेद किये जाने पर पानी की मात्रा को ध्यान मे रख कर नाले का आयाम तय किया गया था, कार्य दिसम्बर 2019 मे पूर्ण किया जाना था परंतु ग्रामीणो के विवाद और नाले के साइज़ पर आपसी सहमति न होने के कारण विवाद रहा। वर्तमान मे 600 मीटर नाले का निर्माण पूर्ण हो चुका है परंतु इकाई द्वारा इस संदर्भ में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अतिरिक्त भारित भुगतान हेतु अभिलेखो की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जायेगी तथा विलंब हेतु समय वृद्धि प्रकरण शीघ्र उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

खंड के उत्तर से स्पष्ट था कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व होने वाले विवादो एवं डिस्चार्ज का आंकलन किए बगैर कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 20.82 लाख के भुगतान के साथ कार्य पर अतिरिक्त ₹ 34.91 लाख व्यय कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप व्यय धनराशि का लाभ आमजन को प्राप्त न होने के कारण कुल ₹ 55.73 लाख का व्यय निष्फल रहा था एवं साथ ही खंड 200 मीटर से आगे नाले निर्माण के संबंध मे कोई अभिलेख (माप पुस्तिका एवं वाउचर) लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं कर सका था।

अतः निर्धारित अवधि के 2 वर्षो के उपरांत नाले के अपूर्ण निर्माण कार्य के कारण ₹ 55.73 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर: 3 खण्ड द्वारा अस्थाई सेतुओं के dismantling के पश्चात लालजी वाला स्टोर में लाये गए, स्टोर से पुनः निर्गत किए गए एवं स्टोर में उपलब्ध सेतु पार्ट्स की मात्राओं की निगरानी हेतु कोई रजिस्टर का रख रखाव न किया जाना।

हरिद्वार में कुम्भ मेला/ अर्द्ध-कुंभ मेला एवं प्रतिवर्ष संपादित होने वाले अन्य मेलों में अस्थाई सेतुओं का निर्माण किया जाता है एवं मेला सम्पन्न होने के पश्चात सेतुओं का dismantle कर dismantling सेतुओं के पार्ट्स को लालजी वाला स्टोर में रखा जाता है एवं उन सेतुओं के पार्ट्स को आगामी वर्षों में होने वाले मेलों में अस्थाई सेतुओं का निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कुम्भ मेला/ अर्द्ध-कुंभ मेला एवं अन्य मेलों में निर्माण की गई अस्थाई सेतुओं का dismantle के पश्चात सेतुओं के पार्ट्स को जब लालजी वाला स्टोर में लाया जाता है एवं जब लालजी वाला स्टोर से सेतुओं के निर्माण हेतु सेतुओं के पार्ट्स को निर्गत किया जाता है तब उसकी इन्द्राज किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि उसे केवल संबन्धित अवर अभियंता के मापपुस्तिका एवं RMR में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार dismantling सेतुओं के सभी पार्ट्स लालजी वाला स्टोर में लाया गया या नहीं अथवा लालजी वाला स्टोर से आवश्यकता से अधिक पार्ट्स निर्गत किया गया है या नहीं एवं लालजी वाला स्टोर में विभिन्न-विभिन्न सेतुओं के कुल कितने पार्ट्स उपलब्ध है इस संबंध में निगरानी रखे जाने का कोई क्रियाविधि (mechanism) नहीं अपनाया गया। सेतुओं के पार्ट्स लाते समय एवं स्टोर से निर्गत करते समय उसकी इन्द्राज केवल संबन्धित अभियंताओं के मापपुस्तिका एवं RMR में दर्ज किए जाने से इस बात की पुष्टि नही हो सकता कि वास्तव में कुल कितनी मात्रा में पार्ट्स स्टोर में ले आया गया एवं कुल कितनी मात्रा में निर्गत की गयी।

अर्द्ध-कुंभ मेला 2016 के अंतर्गत निर्मित तीन अस्थाई सेतुओं के पार्ट्स जिसे dismantling के पश्चात लालजी वाला स्टोर में लाया गया था, के सम्बंध में जब लेखापरीक्षा द्वारा उसका पुनः उपयोग के सम्बंध में पूछा गया तो खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अर्द्ध-कुंभ मेला 2016 के अंतर्गत निर्मित तीन अस्थाई सेतुओं के पार्ट्स को वैरागी कैंप से गौरी शंकर द्वीप को जोड़ने हेतु सेतु के निर्माण के लिए पुनः उपयोग किया गया है जिसके लिए आगणन में 991.57 MT पुराने सेतु के पार्ट्स एवं 68.83 MT supply and

fabrication का प्रावधान किया गया है एवं वर्तमान तक 1035 MT स्टील पार्ट्स कुम्भ मेला 2021 में प्रयुक्त हो चुकी है। जबकि इस सम्बंध में खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा को जो मापपुस्तिका प्रस्तुत की गयी उसके अनुसार वैरागी कैंप से गौरी शंकर द्वीप को जोड़ने हेतु सेतु के निर्माण के लिए लालजी वाला स्टोर से कुल 910.536 MT पार्ट्स ही निर्गत किया गया दर्शित हो रहा है। शेष 124.46 MT पार्ट्स का कहाँ एवं किस हेतु उपयोग किया गया है इस सम्बंध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि खण्ड द्वारा स्टोर में सेतुओं के पार्ट्स लालजी वाला स्टोर में लाते समय एवं निर्गत करते समय उसके निगरानी हेतु कोई क्रियाविधि नहीं अपनाने के कारण स्टोर में वास्तव में लाये गए एवं पुनः प्रयोग हेतु वास्तव में निर्गत किए गए सेतुओं के पार्ट्स का मिलान किया जाना संभव नहीं है जिससे कि शासकीय संपत्ति (सेतु पार्ट्स) का दुरुपयोग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा लालजी वाला स्टोर में लाये गए एवं स्टोर से निर्गत किए गए सेतुओं के पार्ट्स का विवरण किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जाने एवं सेतुओं के समस्त पार्ट्स स्टोर में ले आने एवं आवश्यकता से अधिक पार्ट्स स्टोर से निर्गत न होने की निगरानी कैसे रखा जाता है इस सम्बंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया केवल यह अवगत कराया गया कि संबन्धित अवर अभियंता की मापपुस्तिका में पार्ट्स की मात्रा दर्ज करते हुये RMR के माध्यम से लेखा रखा जाता है। खण्ड के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति स्वतः सिद्ध होता है कि खण्ड द्वारा स्टोर में लाये गए, स्टोर से निर्गत किए गए एवं स्टोर में उपलब्ध सेतु पार्ट्स की मात्राओं की निगरानी हेतु कोई mechanism उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार खण्ड द्वारा dismantling के पश्चात लालजी वाला स्टोर में लाये गए, स्टोर से निर्गत किए गए एवं स्टोर में उपलब्ध सेतु पार्ट्स की मात्राओं की निगरानी हेतु कोई रजिस्टर का रख रखाव न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 4 – त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/वृद्धि के कारण ₹ 1.17 लाख का अधिक भुगतान।

(i) उत्तराखंड सरकारी वेतन नियम 2016 शासनादेश संख्या 299/xxvii(7)50(16)/2016 की बिन्दु संख्या 13 (01 जनवरी ,2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण) के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (level) से दूसरे स्तर (level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

एक वेतनवृद्धि उस स्तर (level) में दी जाएगी जिसमे से कर्मचारी पदोन्नत किया जा रहा है और उस पद जिसमें पदोन्नति दी गयी है, के स्तर (level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गयी है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड हरिद्वार की लेखापरीक्षा (02/2021) जांच में पाया गया कि श्री राम जतन (चालक) की सेवा पुस्तिका में उनको वर्ष 2017 में तृतीय वित्तीय स्तरोनयन के तहत 05/04/2017 को लेवल 06 में मूल वेतन 43600/- से लेवल 7 में 44900/- कोष्ठिका पर लाया गया और पुनः 05/04/2017 को 44900/- से अगली कोष्ठिका 46200/- पर लाया गया इस तरह उन्हे 05/04/2017 को दो वेतन वृद्धियाँ प्रदान की गयी जिस कारण उन्हे जनवरी 2021 तक ₹ 91959 अधिक वेतन का भुगतान किया गया। (सलंग्नक)

(ii) उत्तराखंड सरकारी वेतन नियम 2016 शासनादेश संख्या 299/xxvii(7)50(16)/2016 की बिन्दु संख्या 10(1) के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भांति प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी या 1 जुलाई होगी।

अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड हरिद्वार की लेखापरीक्षा (02/2021) जांच में पाया गया कि वर्ष 2015 व उससे पूर्व श्री धर्मपाल (बेलदार) की सेवा पुस्तिका के अनुसार उनकी मासिक वेतन वृद्धि का माह जुलाई था। किन्तु वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण के पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि का माह जनवरी कर दिया गया। जिस कारण उन्हे जनवरी 2021 तक ₹ 24990 अधिक वेतन का भुगतान किया गया।(सलंग्नक)

उपरोक्त तथ्यों को खंड को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बतलाया गया कि जांच कर कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

खंड के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति कि पुष्टि होती है अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/वृद्धि के कारण ₹1,16,949/- के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 5 - रु 38.63 लाख रॉयल्टी व जिला न्यास निधि की कटौती न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार की चयनित माह दिसंबर 2020 के वाउचरो की जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में इंगित देयकों से न ही देयकों के साथ form J/ Form M-11 संलग्न थे न ही रायल्टी व जिला न्यास निधि की कटौती की गयी। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ देयकों में ठेकेदार के अनुरोध पर रॉयल्टी व जिला न्यास निधि की कटौती नही की गयी है। वित्तीय नियमों के अनुसार राजस्व को realize होते ही उसे शासकीय खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए जबकि देयकों से रॉयल्टी की कटौती न करके ठेकेदारो को अदेय लाभ पहुचाया गया व राजस्व प्राप्ति में बिना किसी ठोस कारण के विलम्ब किया गया।

(रु में)

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	रायल्टी की धनराशि	जिला न्यास निधि	योग
1	08 दिनांक 01.12.2020	114611	28653	143264
2	10 दिनांक 01.12.2020	गणना नहीं की गयी		
3	12 दिनांक 01.12.2020	1013929	253482	1267411
4	13 दिनांक 01.12.2020	1466564	173494	1640058
5	14 दिनांक 01.12.2020	43420	10855	54275
6	15 दिनांक 01.12.2020	14382	3596	17978
7	27 दिनांक 01.12.2020	31779	7945	39724
8	38 दिनांक 01.12.2020	496494	124124	620618
9	50 दिनांक 01.12.2020	गणना नहीं की गयी		
10	51 दिनांक 01.12.2020	63814	15954	79768
योग		**3244993**	**618103**	**3863096**

प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि समस्त देयक चालू देयक है जिनकी रॉयल्टी से सम्बन्धी रवने ठेकेदार द्वारा जमा किए जाते है परन्तु वास्तविक मात्रा का आकलन न होने के कारण देयक पर अंकित नहीं किया जा सका। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तालिका में इंगित किसी भी देयक के रवने लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नही किए गए थे व यदि रवने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए थे तो देयकों के भुगतान से पूर्व कार्य मे प्रयुक्त सामाग्री व रवने की जांच कर रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः रु 38.63 लाख रॉयल्टी व जिला न्यास निधि की कटौती न कर ठेकेदारो को अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर -6 : liquidate damage आरोपित न कर ठेकेदार को अनियमित लाभ पहुंचाया जाना।

महाकुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में मायापुर स्केप चैनल के ऊपर विश्व कल्याण आश्रम के सामने बो-स्ट्रीम गर्डर डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2395(1)/IV-3/2019-04(07 महाकुम्भ)/ 2018, दिनांक 22.10.2019 तथा प्रावधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर -1 के पत्रांक 4729/229(हरि॰) कु॰ मे॰ –स्तर-1(क्षे॰का॰)/2019 दिनांक 09.12.2019 द्वारा लम्बाई 80 मीटर स्पान एवं ₹ 1229.26 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त सेतु के निर्माण हेतु मेमर्स दून इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ ₹ 1200.64 लाख (जीएसटी सहित) का एक अनुबन्ध गठित किया गया जिसकी कार्य प्रारम्भ तिथि 28.12.2019 व कार्य समाप्ती तिथि 27.10.2020 थी। ठेकेदार के छठे देयक के अनुसार ₹ 1144.42 लाख का कार्य किया जा चुका था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबन्ध के शर्तो के अनुसार कार्य तय समय से पूर्ण न किए जाने पर, अनुबन्ध की राशि का 1/2000th प्रति दिन (अधिकतम अनुबन्ध की राशि का 10%) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य तय समय व्यतीत हो जाने के बाद भी, लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2021) तक अपूर्ण था। उक्त विलम्ब के लिए उस पर अंतिम प्रस्तुत देयक (दिनांक 27.12.2020) तक ₹ 28.94 लाख (1072.00*54/2000 =28.94 लाख) + 12% जीएसटी का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया।

प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लॉक डाउन व लॉक डाउन के बाद खनिज सामाग्री की उपलब्धता बाधित हुई आतिथि तक सेतु के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो चुके है व कैट आई व बोर्ड इत्यादि के कार्य शेष है व अन्तिम देयक से नियमानुसार अर्थदण्ड लगाकर समायोजित कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि अनुबंध के अनुसार समाप्ति तिथि के बाद कोई भी समयवृद्धि स्वीकृत नहीं ही। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समाप्ति तिथि से पूर्व ही अनुमानित समयवृद्धि स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए जबकि समाप्ति तिथि के तीन माह व्यतीत होने के पश्चात भी इकाई द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः ठेकेदार पर liquidate damage आरोपित न किए जाने का प्रकरण व समय वृद्धि की स्वीकृति न प्राप्त किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	19/2003-04	-	1, 2
2.	47/2004-05	2, 3	2, 3
3.	18/2006-07	-	1,2,3,4,5
4.	44/2010-11	1, 2, 3	-
5.	43/2011-12	1,2	1,2
6.	91/2012-13	1, 3 4, 6	-
7.	64/2013-14	1,2	1,2
8.	07/2015-16	1	1
9.	51/2017-18	1	-
10.	87/2018-19	1	1,2
11.	107/2019-20	1, 2	2,3,4,5,6,7,8

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि निस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की गई है जिसके उपरान्त प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित किया जायेगा। अतः उक्त अनिस्तारित प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - माप पुस्तिका 478/L, 503/L, 506/L, 510/L, 528/L, 536/L, 540/L, 544/L, 546/L, 559/L, 569/L एवं 582/L

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री दीपक कुमार	अधिशासी अभियंता	17.10.2018 से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**
श्री एस एस चौहान	**वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता,प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग,हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार, (AMG-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)